संख्या-1/ए-1-105/दस-2014-10(43)/2013

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक - 20 फरवरी, 2014**

विषय- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 38(ग) के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार विभागीय अधिकारी, विभाग की मूल्यवान वस्तुओं को जिलाधिकारी के आदेश से द्वितीला कक्ष में रख सकते है, तथा विभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष मई माह में उन वस्तुओं का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जायेगा। परन्तु कोषागारों में यह पाया गया है कि जिले के अधिकारियों द्वारा विभागीय वस्तुओं को जमा करने के उपरान्त कई-कई वर्षों तक उनका सत्यापन नहीं किया जाता है। सम्बन्धित विभागों से लगातार पत्राचार किये जाने के उपरान्त भी उनके विभाग की सामग्री कोषागार के डबल लाक में पड़ी हुई है तथा कुछ विभाग समाप्त हो गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 38(ग) में दी गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 बी0एम0 जोशी
सचिव।

संख्या–ए-1-105(1)/दस-2014-10(43)/13, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 को उनके पत्रांक-4530/14872/13(515)/12-13/ए0जी0/आ0नि0सू0/बैठक/को0नि0/आडिट, दिनांक 01 नवम्बर, 2013 के क्रम में।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
धीरज पाण्डे
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in